न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
188/2020	11-09-2020	13/05/202_

उनवान

01. सम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सोमेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

——:: वादी

बनाम

01. श्रवणसिंह
02. सुरेनसिंह
03. श्रवणसिंह
04. बन्तासिंह
05. भगतसिंह पुत्रान जयमलसिंह
06. दयाकौर पुत्री जयमलसिंह
07. बचनाकौर पत्नी सन्तासिंह
08. मिन्द्रोकौर
09. छिन्द्रोकौर पुत्रीयान सन्तासिंह
10. सुन्दरसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम गिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत रा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ल आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम गिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। मेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक ार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त ब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 10/16 भाग व तिवादी संख्या 1 लगायत 10 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले ा रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अपने अपने स्सो के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

गिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। जो इस वाद

मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर
[illegible] पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य बाई मिट्स एण्ड
उण्डसआज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का
[illegible]सर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में
[illegible]ई गई। प्रतिवादी संख्या 11 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया
[illegible]ा। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्ररतुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद
[illegible] प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर
[illegible]युक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5047 दिनांक 04–04–2022 के द्वारा प्रकरण
कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन
[illegible]या। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 0.16
[illegible] वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के
[illegible]देश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	667	0.10	बारानी 2	0.3937
02.	दयाकौर पुत्री जयमल सिंह, बंतासिंह भगतसिंह श्रवणसिंह सुरेणसिंह पि0 जयमल ाहि हि0 5/6 रायसिख सा. देह खातेदार छिन्द्रोकौर मिन्द्रोकौर पुत्रियान संतासिंह बचनोकौर पत्नी संतासिंह सुन्दासिंह पुत्र संतासिंह रायसिख हि0 1/6 सा. देह खातेदार	667/1	0.06	बारानी 2	0.2263

तकसीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।
[illegible]र्री डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0